अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

विज्ञापन सं.-2/2020-(सं.प्र.)-संविदा

वॉक-इन-इंटरव्यू

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा **दिनांक 25 से 27 अगस्त, 2020** को एक वर्ष की अवधि हेतु अथवा वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक, जो भी पहले हो, तक **संविदात्मक आधार** पर निम्नलिखित संकाय पदों हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।

क्र.सं.	पद का नाम	अना.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	साक्षात्कार की तिथि
01	सहायक आचार्य, हृद् विकिरण विज्ञान (सी.टी.सी.)	-	-	-	01	01	प्रथम दिन
02	सहायक आचार्य, अस्पताल प्रशासन, सर्जिकल ब्लॉक	01(ई.इब्ल्यू. एस.)	-	-	-	01	
03	सहायक आचार्य, अस्पताल प्रशासन(जे.पी.एन.ए.टी.सी.)	01	-	-	-	01	
04	सहायक आचार्य, काय-चिकित्सा (मुख्य)	01	01	-	01	03	25.08.2020
05	सहायक आचार्य, जराचिकित्सा (मुख्य)	-	01	-	-	01	
06	सहायक आचार्य, आपातकालीन चिकित्सा (जे.पी.एन.ए.टी.सी.)	01	-	-	-	01	
07	सहायक आचार्य, हृद् विज्ञान (जे.पी.एन.ए.टी.सी.)	01	-	-	-	01	
08	सहायक आचार्य, अस्थिरोग विज्ञान (जे.पी.एन.ए.टी.सी.)	02 (02 में से 01 ई.डब्ल्यू. एस.)	-	-	-	02	
09	सहायक आचार्य, संवेदनाहरण विज्ञान (जे.पी.एन.ए.टी.सी.)	01	-	-	01	02	दूसरा दिन 26.08.2020
10.	सहायक आचार्य, संवेदनाहरण विज्ञान (एन.सी.आई., झज्जर)	-	-	-	01	01	
11.	सहायक आचार्य, आधान चिकित्सा, (जे.पी.एन.ए.टी.सी.)	-	01	-	-	01	
12.	सहायक आचार्य, विकृतिविज्ञान (एन.सी.आई., झज्जर)	01(ई.डब्ल्यू. एस.)	01	-	01	03	

13.	सहायक आचार्य, जैव सांख्यिकी (मुख्य)	01	-	-	-	01	तीसरा दिन 27.08.2020
14.	सहायक आचार्य, विकिरण निदान, (जे.पी.एन.ए.टी.सी.)	-	-	-	01	01	
15.	सहायक आचार्य, प्रयोगशाला चिकित्सा (मुख्य)	01	-	-	-	01	
16.	सहायक आचार्य, शल्यक अर्बुदविज्ञान (डॉ.भी.रा.अ.सं.रो.कैं.अ.)	01	01	-	-	02	
17.	सहायक आचार्य, प्रयोगशाला अर्बुदविज्ञान (एन.सी.आई,, झज्जर)	02	-	-	01	03	
18.	सहायक आचार्य, सूक्ष्म जैवविज्ञान (एन.सी.आई., झज्जर)	02	-	-	-	02	

वेतन:- **सहायक आचार्य: रु.1,42,506/- प्रति माह (समेकित)**

ऊपरी आयु सीमा : 50 (पचास) वर्ष। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 5 वर्ष, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 3 वर्ष तथा पी.डब्ल्यू.बी.डी. अभ्यर्थियों हेतु 5 वर्ष तक की छूट इस शर्त के अधीन है कि अभ्यर्थी की अधिकतम आयु निर्धारित तिथि को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अनारक्षित पदों हेतु अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. को उम्र सीमा में कोई छूट नहीं है। पी.डब्ल्यू.बी.डी. को उम्र में छूट इस तथ्य के बिना भी स्वीकृत होगी कि कोई पद पी.डब्ल्यू.बी.डी. हेतु आरक्षित है या नहीं है।

- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) हेतु आरक्षण दिनांक 31.01.2019 के डी.ओ.पी.टी. के का.ज्ञा.सं.36039/1/2019-स्था.(रेज.) डी.ओ.पी.डी. के अनुसार स्वीकृत होगी। तद्नुसार इस प्रकार के पद हेतु ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आरक्षित पद को अनारक्षित के रूप में उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
- वे अभ्यर्थी जो ई.डब्ल्यू.एस. हेतु उपलब्ध आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उनके पास वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि को अथवा इससे पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में आय एवं सम्पत्ति प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- किसी भी आरक्षित श्रेणी जैसे अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अन्तर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में वैध जाति प्रमाणपत्र जमा करने पर ही विचार किया जाएगा। रिक्तियां वित्त वर्ष 2020-21 में विज्ञापित की जा रही हैं, अत: दिनांक 01.04.2020 से 25-27 अगस्त, 2020 अर्थात् वॉक-इन-इंटरव्यू

की अंतिम तिथि तक की अवधि में जारी किए गए वैध एन.सी.एल.-अ.पि.व. प्रमाणपत्र को ही वैध माना जाएगा। वे अभ्यर्थी जिनके पास उक्त अवधि (01.04.2020 से 25-27 अगस्त, 2020 तक) से पहले या बाद में जारी किए गए एन.सी.एल.-अ.पि.व. प्रमाणपत्र हैं, उन्हें इस साक्षात्कार हेतु वैध नहीं माना जाएगा। अ.पि.व. के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 30.05.2014 के का.ज्ञा.सं.36036/2/2013-स्था(रेज.) तथा दिनांक 31.03.2016 एवं 13.09.2017 को डी.ओ.पी.टी. का.ज्ञा.सं.36036/2/2013-स्था.(रेज.) के द्वारा जारी स्प्ष्टीकरण के तहत दिए गए प्रारूप में वैध जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। उक्त प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के संस्थान में नौकरी हेतु वैध हो। अ.पि.व. के अभ्यर्थी की पात्रता भारत सरकार की केन्द्रीय सूची में उल्लिखित जातियों पर आधारित होगी। अ.पि.व. प्रमाणपत्र में यह स्पष्ट लिखा हो कि आवेदक क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है तथा **अभ्यर्थी अ.पि.व. आरक्षण का लाभ लेने हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि को यह सुनिश्चित करें कि वह क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है।**

- पी.डब्ल्यू.बी.डी. अभ्यर्थी को उम्र सीमा में छूट, निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध पी.डब्ल्यू.बी.डी. प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत होगी।

उक्त पदों (क्रम सं. 01 से 06 अर्थात् 25.08.2020, क्रम सं. 07 से 12 अर्थात् 26.08.2020 एवं क्रम सं. 13 से 18 अर्थात् 27.08.2020 हेतु पदों) में संबंधित पद हेतु भर्ती नियमावली के अनुसार ऊपरी आयु सीमा, अनिवार्य अर्हता एवं अनुभव के साथ-साथ उपर्युक्त जाति प्रमाणपत्र/ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र की वैधता पर विचार करने हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि कट-ऑफ तिथि होगी।

आवेदन पत्र निर्धारित अर्हता/अनुभव तथा नियम एवं शर्तों के साथ क्रमश: "सूचना" एवं "भर्ती" शीर्ष के अंतर्गत संस्थान की वेबसाइट www.aiims.edu पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी, जो सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों, **दिनांक 25.08.2020, 26.08.2020 एवं 27.08.2020 को प्रात: 8.30 बजे** तक निदेशक, एम्स, नई दिल्ली के कार्यालय के समीप समिति कक्ष में अर्हता एवं अनुभव से संबंधित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु रिपोर्ट करें तथा दस्तावेजों के सत्यापन हेतु मूल प्रमाणपत्र/दस्तावेज भी लाएं। प्रात: 9.00 बजे के बाद रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों को सत्यापन/वॉक-इन-इंटरव्यू में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

निदेशक

संकाय पदों के लिए संविदा नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें

1. यह नियुक्ति पूरी तरह से **संविदा आधार** पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु अथवा वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। हालांकि, संविदात्मक नियुक्ति को दो वर्षों की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि संविदा को और आगे बढ़ाया नहीं जाता है तो यह स्वत: ही समाप्त हो जाएगी। नियुक्ति को किसी भी समय, दोनों ओर से, एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन देकर बिना कोई कारण बताए अथवा सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि अनुसार तीन माह की सेवा पूर्ण करने में असफल रहने पर समाप्त किया जा सकता है।
2. सहायक आचार्य के पद हेतु समेकित वेतन ₹ 1,42,506/- प्रति माह होगा।
3. नियुक्त व्यक्ति सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करेंगे। सक्षम प्राधिकारी को किसी भी तरह का कार्य, जब भी आवश्यक हो, सौंपने का अधिकार है। ऐसे सौंपे गए कार्यों हेतु किसी तरह के अतिरिक्त भत्ते स्वीकार्य नहीं होंगे।
4. नियुक्त व्यक्ति किसी भी प्रकार के लाभ-जैसे भविष्य निधि, पेन्शन, ग्रेच्युटी, चिकित्सीय उपचार, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि अथवा नियमित आधार पर नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य लाभों को प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
5. नियुक्त व्यक्ति को एम्स में किसी पद पर नियमित नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा अथवा वे इसके लिए दावा नहीं करेंगे।
6. नियुक्त होने वाले व्यक्ति एम्स की पूर्णकालिक नियुक्ति पर होंगे और वह कोई अन्य बाहरी कार्य स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वह भुगतान आधार पर हो अथवा अन्य किसी आधार पर और न ही संविदा की अवधि के दौरान वे किसी तरह की प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे।
7. उक्त पद पर नियुक्ति सक्षम चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा स्वस्थता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अधीन होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी को निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा।
8. नियुक्त व्यक्ति की छुट्टी संबंधी पात्रता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के का.ज्ञा.सं.12016/3/84-स्था.(एल.) एवं दिनांक 5 जुलाई, 1990 के यथासंशोधित का.ज्ञा.सं. 12016/1/90-स्था. (एल.) में संशोधित निदेशों के अनुसार होगी।
9. नियुक्ति के समय नियुक्त होने वाले व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेना आवश्यक होगा अथवा निर्धारित प्रपत्र में उक्त आशय की घोषणा करनी होगी।
10. नियुक्त होने वाले व्यक्ति साक्षात्कार में भाग लेने और पदभार ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार के यात्रा भत्ते के पात्र नहीं होंगे।
11. सेवा की अन्य शर्तें संबंधित नियमों तथा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन होंगी।

12. यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रदत्त कोई घोषणा या सूचना गलत पाई जाती है या अभ्यर्थी द्वारा जानबूझकर किसी तथ्यात्मक सूचना को छिपाया गया पाया जाता है तो उन पर सेवा से निष्कासन अथवा सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।
13. नियुक्त व्यक्ति अ.भा.आ.सं. के नियमित/स्थायी संकाय सदस्यों को दिए जा रहे किसी प्रकार के भत्तों/सुविधाओं को प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
14. नियुक्त व्यक्ति को अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली के किसी भी अन्य केन्द्र बल्लभगढ़ (हरियाणा), गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) एवं झज्जर (हरियाणा) में तैनात किया जा सकता है।
15. अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली के पास पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने का अधिकार सुरक्षित है।

* * * * *

सहायक आचार्य (संविदात्मक) के विज्ञापित पदों हेतु अनिवार्य अर्हता एवं अनुभव-विज्ञापन सं.2/2020(सं.प्र.)-संविदा

क्रम.सं.	पद का नाम	पद हेतु अनिवार्य अर्हता एवं अनुभव
01	सहायक आचार्य, हृद् विकिरण विज्ञान (सी.टी.सी.)	(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अनुसूची I एवं II अथवा तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल एक चिकित्सीय अर्हता (तीसरी अनुसूची के भाग-II में शामिल अर्हताओं को प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अधिनियम के धारा 13(3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा किया हो।) (ii) हृद्-विकिरण विज्ञान में डी.एम. (एम.बी.बी.एस. के पश्चात् 2 वर्षीय अथवा 3 वर्षीय अथवा 5 वर्षीय अथवा 6 वर्षीय मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम) अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। (iii) हृद्-विकिरण विज्ञान में डी.एम. की डिग्री (एम.बी.बी.एस. के पश्चात् 2 वर्षीय अथवा 5 वर्षीय मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम) प्राप्त करने के बाद विषय विशेष में मान्यता प्राप्त संस्थान में एक वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। हालांकि हृद् विकिरण विज्ञान में डी.एम. की 3 वर्षीय अथवा 6 वर्षीय मान्यता प्राप्त डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों हेतु अनुभव अनिवार्य नहीं है।
02 एवं 03	सहायक आचार्य, अस्पताल प्रशासन, सर्जिकल ब्लॉक/जे.पी.एन.ए.टी.सी.	(i) उपर्युक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित हृद् विकिरण विज्ञान के सहायक आचार्य के समान। (ii) अस्पताल प्रशासन में स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात् एम.डी. अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। **अथवा** एम.सी.आई. से मान्यता प्राप्त संस्थान/

		विश्वविद्यालय से अस्पताल प्रशासन में स्नातकोत्तर अथवा एक समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। (iii) अस्पताल प्रशासन में एम.डी. की स्नातकोत्तर डिग्री अथवा अस्पताल प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.एस.ए.) अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अस्पताल प्रशासन में तीन वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव।
04	सहायक आचार्य, काय-चिकित्सा (मुख्य)	(i) उपर्युक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित हृद् विकिरण विज्ञान के सहायक आचार्य के समान। (ii) काय-चिकित्सा में स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात् एम.डी. अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। (iii) काय-चिकित्सा में एम.डी. की डिग्री अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् विषय विशेष में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव।
05	सहायक आचार्य, जराचिकित्सा (मुख्य)	(i) उपर्युक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित हृद् विकिरण विज्ञान के सहायक आचार्य के समान। (ii) जराचिकित्सा में स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात् एम.डी. अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। (iii) जराचिकित्सा में एम.डी. की डिग्री अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् विषय विशेष में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव।
06	सहायक आचार्य, आपातकालीन चिकित्सा (जे.पी.एन.ए.टी.सी.)	(i) उपर्युक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित हृद् विकिरण विज्ञान के सहायक आचार्य के समान।

		(ii) स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात आपातकालीन चिकित्सा में एम.डी. अथवा काय-चिकित्सा में एम.डी. अथवा सामान्य शल्यचिकित्सा में एम.एस. अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता। (iii) उपर्युक्त विषयों में एम.डी./एम.एस. की डिग्री अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् विषय विशेष में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव। हालांकि, कैजुअल्टी/आपातकालीन विभागों में कार्य करने के अनुभव वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
07	सहायक आचार्य, हृदयरोग विज्ञान (जे.पी.एन.ए.टी.सी.)	(i) उपर्युक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित हृद् विकिरण विज्ञान के सहायक आचार्य के समान। (ii) हृद् रोग विज्ञान में डी.एम. (एम.बी.बी.एस. के पश्चात् 2 वर्षीय अथवा 3 वर्षीय अथवा 5 वर्षीय अथवा 6 वर्षीय मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम) अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। (iii) हृद् रोग विज्ञान में डी.एम. की डिग्री (एम.बी.बी.एस. के पश्चात् 2 वर्षीय अथवा 5 वर्षीय मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम) अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात विषय विशेष में मान्यता प्राप्त संस्थान में एक वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव। हालांकि, हृद् रोग विज्ञान में डी.एम. की तीन वर्षीय अथवा छः वर्षीय मान्यता प्राप्त डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों हेतु अनुभव अनिवार्य नहीं है।
08	सहायक आचार्य, अस्थिरोग विज्ञान (जे.पी.एन.ए.टी.सी.)	(i) उपर्युक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित हृद् विकिरण विज्ञान के सहायक आचार्य के समान।

		(ii) अस्थिरोग विज्ञान में एक स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात एम.एस. अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। (iii) अस्थिरोग विज्ञान में एम.एस. की डिग्री अथवा एक समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् विषय विशेष में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव।
09 एवं 10	सहायक आचार्य, संवेदनाहरण विज्ञान (जे.पी.एन.ए.टी.सी.)/एन.सी.आई., झज्जर	(i) उपर्युक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित हृद् विकिरण विज्ञान के सहायक आचार्य के समान। (ii) संवेदनाहरण विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात् एम.डी. अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। (iii) संवेदनाहरण विज्ञान में एम.डी. की डिग्री अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् विषय विशेष में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव।
11	सहायक आचार्य, आधान चिकित्सा (जे.पी.एन.ए.टी.सी.)	(i) उपर्युक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित हृद् विकिरण विज्ञान के सहायक आचार्य के समान। (ii) आधान चिकित्सा अथवा ब्लड बैंकिंग में एक स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात एम.डी. अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। (iii) आधान चिकित्सा अथवा ब्लड बैंकिंग में एम.डी. की डिग्री अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रतिरक्षा विज्ञान, रूधिर विज्ञान, रक्त आधान की विभाजन तकनीक एवं नैदानिक पहलूओं में विशेष प्रशिक्षण के साथ ब्लड बैंक में तीन वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव।
12	सहायक आचार्य, विकृतिविज्ञान (एन.सी.आई., झज्जर)	(i) उपर्युक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित हृद् विकिरण विज्ञान के सहायक आचार्य के समान।

		(ii) विकृतिविज्ञान में एम.डी. अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। (iii) विकृति विज्ञान में एम.डी. की डिग्री अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् विषय विशेष में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव।
13	सहायक आचार्य, जैवसांख्यिकी (मुख्य)	**1) <u>अनिवार्य</u>** (i) सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री। **2) <u>अनुभव</u>** (i) डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित अध्ययन विषय/विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव।
14	सहायक आचार्य, विकिरण निदान (जे.पी.एन.ए.टी.सी.)	(i) उपर्युक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित हृद् विकिरण विज्ञान के सहायक आचार्य के समान। (ii) स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात विकिरण निदान में एम.डी. अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। (iii) विकिरण निदान में एम.डी. की डिग्री अथवा एक समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् विषय विशेष में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव।
15	सहायक आचार्य, प्रयोगशाला चिकित्सा (मुख्य)	**<u>चिकित्सीय अभ्यर्थियों हेतु</u>** (i) उपर्युक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित हृद् विकिरण विज्ञान के सहायक आचार्य के समान।
		(ii) प्रयोगशाला चिकित्सा अथवा सूक्ष्म जैव विज्ञान अथवा विकृति विज्ञान अथवा जैवरसायन अथवा रूधिर विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात् एम.डी. अथवा

		समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। हालांकि, प्रयोगशाला चिकित्सा में एम.डी. करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। (iii) उपर्युक्त विषयों में एम.डी. की डिग्री अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् विषय विशेष में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव। **<u>गैर-चिकित्सीय अभ्यर्थियों हेतु</u>** (i) उक्त अध्ययन विषय/सबंद्ध विषयों में एक स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जैवरसायन अथवा रूधिरविज्ञान अथवा विकृतिविज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री अर्थात पी.एच.डी. अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। (iii) डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव।
16	सहायक आचार्य, शल्य चिकित्सा अर्बुदविज्ञान (डॉ.भी.रा.अ.सं.रो.कैं.अ.)	(i) उपर्युक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित हृद् विकिरण विज्ञान के सहायक आचार्य के समान। (ii) शल्य चिकित्सा अर्बुदविज्ञान में एम.सीएच. (2 वर्षीय अथवा 3 वर्षीय अथवा 5 वर्षीय अथवा 6 वर्षीय मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम) अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता। (iii) शल्य चिकित्सा अर्बुदविज्ञान में एम.सीएच. की डिग्री (2 वर्षीय अथवा 5 वर्षीय मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम) अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् विषय विशेष में मान्यता प्राप्त संस्थान में एक वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा

		अनुसंधान अनुभव। हालांकि, शल्य चिकित्सा अर्बुदविज्ञान में एम.सीएच. की 3 वर्षीय अथवा 6 वर्षीय मान्यता प्राप्त डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों हेतु अनुभव अनिवार्य नहीं है।
17	सहायक आचार्य, प्रयोगशाला अर्बुदविज्ञान (एन.सी.आई., झज्जर)	(i) उपर्युक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित हृद् विकिरण विज्ञान के सहायक आचार्य के समान। (ii) विकृति विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात एम.डी. अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता। (iii) विकृतिविज्ञान में एम.डी. की डिग्री अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् विषय विशेष में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव। अपेक्षित तीन वर्षीय अनुभव में से कम से कम एक वर्ष का अनुभव केवल रूधिर-अर्बुद-विकृति विज्ञान में होना चाहिए।
18	सहायक आचार्य, सूक्ष्म जैव विज्ञान (एन.सी.आई., झज्जर)	(i) उपर्युक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित हृद् विकिरण विज्ञान के सहायक आचार्य के समान। (ii) सूक्ष्म जैवविज्ञान में एक स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात एम.डी. अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता। (iii) सूक्ष्म जैवविज्ञान में एम.डी. की डिग्री अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् विषय विशेष में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन वर्षीय शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव।

* * * * *